

23/7/19

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में बार-बार
आवाजे लगावारी गरी परन्तु वादीगण व उनके
अधीनस्थ कोई उपास्थित नहीं हुए। लिहाज
कारण इसमें पेशी / अफ हजरी में रफाई
जिना जाता है। पत्रावली फौजदारी शुल्क ही भर
जायक से रफाई ही निर्णय सुले न्यायालय में
सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्

